:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :–राकेश कुमार न्योल

मुकदमा नम्बर 04/2022 राजस्व अपील   दायर दिनांक 27.09.2022

1. श्री प्रेमचन्द पिता वजा चमार
2. श्री प्रेमचन्द पिता वजा चमार
3. श्री राजमल पिता वजा चमार
4. श्रीमती शकरी पत्नी वजा चमार
5. श्री हिरालाल पिता भगा चमार निवासी नयागांव गोबर तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज.।

–अपीलांटगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला–डूँगरपुर।

–रेस्पोंडेंटगण

अपील बनाराजगी नामान्तरण सख्या 1285, ओदश प्रमाणित ग्राम पंचायत झलाप मौजा झलाप तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1 श्री बालगोविन्द पाटीदार अधिवक्ता अपीलांट।

2 पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय ::   दिनांक 13/08/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण गांव नयागांवगोबर के स्थायी निवासी हैं। अपीलांटगण के कब्जे की पैतृक विरासती भूमि मौजा नयागांवगोबर में खाता संख्या 8, खसरा नंबर 10, 12, 14, 51, 52, 54, 55 खेत किता 07 कुल रकबा 5.4633 हैक्टेयर भूमि होकर स्थित है। जिसमें से अपीलांटगण के ताउ हरचंद के एक मात्र पुत्र किशन के लाऔलाद फोत हो जाने से उसकी सम्पूर्ण हिस्से पर अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। जिनके विधिक वारिसानों का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

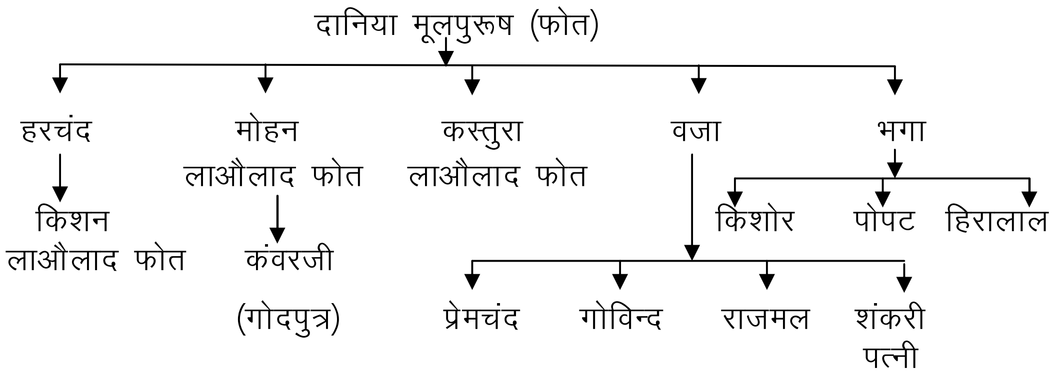

यह कि अपीलान्टगण अपीलग्रस्त आराजी में केसीसी ऋण लेने हेतु जमाबंदी निकलवाई तो पता चला कि पैतृक आराजी भूमि में ताउ हरचन्द के एकमात्र पुत्र किशन के लाऔलाद फौत हो जाने पर गलती से कैलाश पिता किशन, सुगना पिता किशन रामकन्या पत्नी किशन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है जबकि अपीलांटगण के चचेरे भाई किशन का विवाह ही नहीं हुआ और लाऔलाद फोत हो गया। नामांतरण संख्या 111 दिनांक 28.11.2008 पुख्ता जांच किये बिना ही नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। जबकि विधि एवं नियमानुसार किशन के लाऔलाद फोत हो जाने पर अपीलांटगण का नाम जोड़ा

जाना था। ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये उक्त नामांतरण संख्या 111 तस्दीक कर दिया है जबकि अपीलांटगण विधिक अधिकारी हैं। अपीलांटगण ने रेस्पोंडेंट से मिलकर नामान्तरण को निरस्त कर खाता दुरूस्त करने की बात की तो दुरूस्त करने से इंकार कर दिया, जिससे अपील प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी पुख्ता जांच किये कॉलम संख्या 02 में अंकित भूमि में खोले गये नामान्तरण संख्या 111 से कैलाश पिता किशन, सुगना पिता किशन, रामकन्या पत्नी किशन का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसे खारिज कर शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा कैलाश पिता किशन, सुगना पिता किशन, रामकन्या पत्नी किशन का नाम हटाकर अपीलांटगण के नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अपीलान्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार का जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत बांकड़ा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि कैलाश पिता किशन, सुगना पिता किशन व रामकन्या पत्नी किशन नाम के कोई व्यक्ति गांव नयागांव गोबर में नहीं है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टगण की अपील न्यायसंगत होने से स्वीकार की गई।

क्रियात्मक आदेश

अतः ग्राम पंचायत बांकड़ा द्वारा स्वीकृत ग्राम नयागांवगोबर नामान्तरण संख्या 111, दिनांक 28.11.2008 खाता संख्या 08 के खसरा सख्या 10, 12, 14, 51, 52, 54 ,55 किता 07 रकबा 5.4633 हैक्टेयर को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सीमलवाड़ा को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम नयागांवगोबर नामान्तरण संख्या 111 दिनांक 28.11.2008 को निरस्त कर मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार सीमलवाडा आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 13/08/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा